न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—13/2020

हीरालाल पुत्र श्री बालूराम जाति नायक निवासी चक 7 एम.डी (ढाणी) तहसील अनूपगढ़
—— **प्रार्थी**

बनाम्
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
—— **अप्रार्थी**

प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा—251 'ए' राज.काश्त अधिनियम

—::निर्णय::— **दिनांकः—13.07.2021**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 7 एम.डी. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—30 पत्थर नं.—122/12 के किला नं.—7,8,13,14,16,17,18,23,24,25 में 2.530 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी रकबा है। प्रार्थी की ढाणी रकबा के किला नं.—8 में ढाणी बनी हुई है। जिसमें प्रार्थी निवास करता है। प्रार्थी उक्त किला नं.—8 में बनी ढाणी से बाहर गांव व अन्य जगह आने जाने के लिए रास्ता नही है। प्रार्थी को अपने ढाणी से इधर—उधर जाने के लिए रास्ता नहीं है जिसके कारण प्रार्थी को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी उक्त रकबा में जाने के रास्ता स्वीकृत करने के लिए उपजिला कलैक्टर को प्रार्थना पत्र भी दिया था। जिसमे प्रार्थी की किसी प्रकार से कोई सुनवाई नही हुई। प्रार्थी को उक्त रकबा किला नं.—25 में राज रकबा में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। उपरोक्त चक 7 एम.डी. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—30 पत्थर सं.—122/12 के किला नं.—25 में राज रकबा में से रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजि. कर वांछित रास्ता के संबंध में भू. अभिलेख निरीक्षक, लूणियॉ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मुताबिक रिपोर्ट भू. अभिलेख निरीक्षक, लूणियॉ प्रार्थी वर्तमान में वैकल्पिक मार्ग पत्थर नं.—122/10 के किला नं.—1,10,11,20,21 (मुताबिक रिकार्ड अराजीराज) व इसी पत्थर सं. —122/11 के किला नं.—22ता23 व पत्थर नं.—122/12 के किला नं.—3 में से होते हुए पत्थर नं. —122/12 के किला नं.—8व13 में बनी अपनी ढाणी में प्रवेश करता है, यह वैकल्पिक मार्ग मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहा जा रहा पत्थर नं.—122/12 के किला नं.—25 के अराजीराज में चाहे जा रहे रास्ता के समीप कोई स्वीकृतशुदा रास्ता सम्पर्क में नही है। अपितु किला नं.—25 के पास नहर की सीमा से होता हुआ एक मुरब्बा तक कच्चा रास्ता सम्पर्क में है, जो आगे चलकर नहर की पुलिया से पक्की रोड़ में मिल जाता है। पूर्व में पत्थर नं.—122/11 व पत्थर नं.—122/12 को आराजीराज किया गया एवं जिसका चक 7 एम.डी. में ईंतकाल संख्या—122 दिनांक 12.07.08 व चक 5 एम.डी बी में ईंतकाल संख्या—123 दिनांक 12.07.08 से अमलदरामद एवं स्वीकृत हुआ। उक्त रास्ता प्रार्थी की संयुक्त खाते की भूमि पत्थर नं.—122/13 के पत्थर नं.—122/10 के स्वीकृतशुदा रास्ते के सम्पर्क में था।

तदपंरात बहस सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित मार्ग स्वीकृत किया जावे। अंततः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी हीरालाल की सयुंक्त खातेदारी कृषि भूमि है। मुताबिक

रिपोर्ट भू0 अभिलेख निरीक्षक लूणियॉ मौके पर वैकल्पिक मार्ग चालू है। रास्ता पहुँच मार्ग होने एवं आवेदक को मौका काश्तानुसार आराजी नये रास्ता की जरूरत नहीं है। उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के तहत संयुक्त खाते की भूमि होने, रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यक नहीं होने, पूर्व में रास्ते की सुविधा होने एवं केवल वांछित रास्ता जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251"क" राज.काश्त. अधिनियम 1955 को स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़